

कार्यालय निर्वाचन अधिकारी
केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद निर्वाचन
हिमाचल प्रदेश राज्य

संख्या: हि0प्र0(होम्यो) सी0सी0एच(निर्वाचन)1/2015

दिनांक,

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश राज्य से केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली के लिये निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना ।
एतद्व द्वारा सूचना दी जाती है कि:

- 1 हिमाचल प्रदेश से होम्योपैथी व्यवसायी जो होम्योपैथी परिषद के रजिस्टर में पंजीकृत हैं और जिन का वर्ष 2015 के लिये नवीनीकरण हुआ है में से केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद के लिए केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद अधिनियम, 1973 की धारा 3 की उप-धारा (1) (ए) के अर्न्तगत एक सदस्य का निर्वाचन दिनांक 24 अगस्त, 2015 को किया जाना है ।
- 2 इस निर्वाचन के लिए कोई भी व्यक्ति जो केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद अधिनियम, 1973 की धारा 5 के तहत निधार्ति अर्हताओं को पूर्ण करता हो इस निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी बनने के लिए योग्य होगा ।
- 3 नामांकन पत्र के प्रारूप निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11 बजे से सायं 3 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं ।
- 4 नामांकन पत्र अभ्यर्थी या उस से प्रस्तावक द्वारा व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं जो निर्वाचन अधिकारी को दिनांक 01-07-2015 को सायं 3 बजे तक प्राप्त हो जाने चाहिए ।
- 5 नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक 02-07-2015 को प्रातः 11 बजे की जायेगी ।
- 6 अभ्यर्थिता के प्रत्यहरण की सूचना के प्रयोजन के लिए अभ्यर्थी या उस के द्वारा सम्यक रूप से लिखित रूप से प्राधिकृत प्रस्तावक द्वारा निर्वाचन अधिकारी को दिनांक 03-07-2015 को सायं 3 बजे तक दी जा सकती है ।
- 7 मतदाताओं को मतपत्रों का प्रेषण दिनांक 22.07.2015 से किया जायेगा ।
- 8 मतपत्रों की गणना दिनांक 24-08-2015 को प्रातः 11 बजे से की जायेगी ।
- 9 परिणाम मत गणना के तुरन्त बाद घोषित किया जायेगा

Singh
डा० संदीप भटनागर,
निर्वाचन अधिकारी
केन्द्रीय होम्योपैथी निर्वाचन,
हिमाचल प्रदेश ।

स्थान: शिमला-2
दिनांक: 13/5/15

**Office of the Returning Officer,
Central Council for Homoeopathy Election,
Regional Ayurvedic Hospital, Shimla-171002
Himachal Pradesh.**

No. HP (Homoeo) CCH (Election) 1/2015-

Dated, Shimla-171002,the

NOTIFICATION


Election programme to the election of the Central council of Homoeopathy from the State of Himachal Pradesh.

Notice is hereby given that:

An election to the Central Council of Homoeopathy is to be held for electing one(1) member under clause (A) of sub-section(1) of section 3 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 from the state of Himachal Pradesh from amongst Homoeopathy Medical Practitioners entered in the State Register of Homoeopathy and renewed for the year, 2015 maintained by the State Council of Homoeopathy System of Medicine on 28.05.2015.

1. Any person who fulfills the requisite qualification under section 5 of the Central Council of Homoeopathy Act, 1973 is eligible to stand for this election.
2. Form of nomination paper may be obtained from the Returning Officer from his office on any working day between 11 a.m. to 3.p.m.
3. Nomination paper may be delivered by a candidate or his proposer in person or by post so as to reach the Returning Officer not later than 3 p.m. on or before 1st July, 2015.
4. Nomination paper will be taken up for scrutiny on 02.07.2015 at 11.a.m.
5. Notice of withdrawal of candidature may be delivered by a candidate or his proposer, duly authorized in writing by the candidate for the purpose to Returning Officer before 3.p.m. 03.07.2015.
6. The Voting Papers shall be dispatched to the electors from 22.07.2015.
7. Counting of votes shall be done on 24.08.2015 from 11 a.m. in the office of the Returning Officer and marked ballot papers received up to 22.08.2015 till 3.p.m. shall only be counted.
8. The result shall be declared immediately after the counting of votes is over on 24.08.2015.

Date: 13/5/15
Place: Shimla-2


(Dr.Sandeep Bhatnagar)
Returning Officer,
Central Council of Homoeopathy Election.